12/2/25 आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पटवारी रिपोर्ट प्राप्त हुई पेश 2110 [illegible] [illegible] वकील वादी ने बहस प्रारंभ की गई। वादी का वाद [illegible] किया जाता है। [illegible] [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible]। बाद तामील [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] हो। [illegible]

[signature]

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
188 / 2023	29.09.2023	12.02.2025

बउनवान

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी रडवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय (लैण्ड होल्डर) तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावा
अन्तर्गत धारा 88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री सुरेश यादव :— वादी अधिवक्ता

वादी के वाद का सार निम्न प्रकार से है कि :—

1. यह है कि आराजी ख0 नं0 हाल 1238 रकबा 0.59 हैक्0, वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। जिस आराजी का 1/6 भाग जो मिन वादी की खातेदारी का है, जो वाद में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी मिन वादी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, मिन वादी ग्रामीण परिवेश का रहने वाला है तथा मिन वादी का असल नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश है लेकिन आराजी ख0 नं0 हाल 1238 रकबा 0.59 हैव0, वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर में मिन वादी का नाम धल्लड पुत्र ओमप्रकाश दर्ज कर दिया जबकि मिन वादी का असल रिकोर्ड में नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश है, सहवन से राजस्व रिकोर्ड में धल्लड पुत्र ओमप्रकाश दर्ज कर दिया जिसको मिन वादी दुरुस्त कराकर सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश दर्ज कराने का अधिकारी है, जिस हेतू दावा इशतकरारहक दुरूस्ती पेश करना लाजिम आया है।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

3. यह है कि ग्राम में वादी को धल्लड के नाम से पुकारते थे जिस कारण जमाबन्दी के एक खसरा नम्बर 1238 में धल्लड पुत्र ओमप्रकाश दर्ज हो गया जबकि सुरेन्द्र कुमार असल नाम है सुरेन्द्र कुमार व धल्लड एक ही व्यक्ति है।
4. यह है कि मिन वादी का आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, सरपंच द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र व अन्य राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी सं0 2070 2073 में ख0 नं0 219 रकबा 1.00 हैक0, वाके ग्राम रडवा तहसील मुण्डावर में अन्य दस्तावेजात में नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश दर्ज है, इसलिये मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है, जिस हेतू उक्त विवादित आराजी में नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश किया जाना आवश्यक और न्यायसंगत है, क्योंकि राजस्व रिकोर्ड में नाम धल्लड पुत्र ओमप्रकाश के दर्ज रहने से मिन वादी के खातेदारी अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडता है, और नापूर्ती होने वाली क्षति भी मिन वादी को हो रही है जिसकी भरपाई करना नामुमकिन हो रहा है, जिस कारण उक्त इन्द्राज को दुरूस्त कर मिन वादी का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश दर्ज कराने का अधिकारी है।
5. यह है कि उक्त विवादित आराजी को दुरूस्त करने बाबत नाम वादी ने प्रतिवादी को कई बार मौखिक और लिखित निवेदन किया था लेकिन दिनांक 03/08/2023 को प्रतिवादी ने स्पष्ट मना कर दिया कि अदालत से आदेश लेकर आओ बस यही तारीख बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर मियाद है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

अतः प्रार्थना है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे। श्रीमानजी की महति कृपा होगी।

(अ) यह करार दिया जावे कि आराजी ख0 नं0 हाल 1238 रकबा 0.59 हैक0, वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर के 1/6 भाग पर वादी का नाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे हाल राजस्व रिकोर्ड में सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश खातेदार दर्ज किया जावे। आदेश दिये जावे।

(ब) अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जाते ।

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण की विधिवित रूप से तामिल करवाई गई। विधिवत रूप से तामिल होने के बाद प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जबाव प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रडवा के खसरा नम्बर 1238/0.59 में धल्लड पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर हिस्सा 1/6 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उपस्थित मौतविरानो ने बताया कि धल्लड पुत्र ओमप्रकाश व सुरेन्द्र कुमा पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर दोनो एक ही व्यक्ति है ग्राम रडवा में धल्लड पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है।

सु०

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

वादीगन ने अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श– 1 पटवारी रिपोर्ट, प्रदर्श– 2 शपथ पत्र, प्रदर्श– 3 जमाबन्दी खाता संख्या 183, प्रदर्श– 4 जमाबन्दी खाता संख्या 131, प्रदर्श–5 ए राज0 ग्रामीण बैक पास बुक की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श– 6 ए राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–7 ए राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श– 8 ए आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति, सरपंच का प्रमाण पत्र फोटो प्रति पेश की है।

वादी अधिवक्ता ने वादी के वाद के दौरान बहस कथन कहे कि जो निम्न इस प्रकार है कि :–

विवादित आराजी खसरा नम्बर में वादी का नाम धल्लड पुत्र ओमप्रकाश दर्ज है क्योकि ग्रामीण भाषा में वादी को सुरेन्द्र के स्थान पर धल्लड बोला जाता था। परन्तु वादी का नाम धल्लड ना होकर सुरेन्द्र सही है। वादी के दस्तावेजात में भी सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश ही दर्ज रिकोर्ड है। पैरोकार सरकार ने भी धल्लड और सुरेन्द्र को एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। इसलिए विवादित आराजी में दर्ज वादी का नाम धल्लड के स्थान सुरेन्द्र दर्ज किये जाने की कृपा करे।

वादी के वाद पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि विवादित आराजी में वादी का नाम धल्लड पुत्र ओमप्रकाश दर्ज रिकोर्ड है परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश दर्ज है। धल्लड व सुरेन्द्र एक व्यक्ति होने की पृष्टि प्रतिवादी (पैराकार) ने की है। इसलिए वादी का वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

निर्णय

उक्त विवेचन के अनुसार वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद को स्वीकर किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 हाल 1238 रकबा 0.59 है0, वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर के 1/6 भाग में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी में हो रहे धल्ल्ड को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सही

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
188/2023	29.09.2023	12.02.2025

बउनवान

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी रडवा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय (लैण्ड होल्डर) तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावा

अन्तर्गत धारा 88, 89

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :—

वादी की ओर से **सुरेश यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 12.02.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है:—**

आराजी ख0 नं0 हाल 1238 रकबा 0.59 हैक्0, वाके ग्राम सिहाली कलां तहसील मुण्डावर के 1/6 भाग में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी में हो रहे धल्ल्ड को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.02.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर,
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0